UPRN010033312026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.2/विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०एक्ट)

रमाबाई नगर, (कानपुर देहात)।

फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं0–294/2026

विमल .....बनाम.....केशवराम आदि

अं०धारा–173(4) BNSS

थाना–रसूलाबाद, कानपुर देहात।

दिनांक–15.07.2026

1– प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र अं०धारा–173(4) BNSS मय शपथपत्र विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराये जाने एवं विवेचना कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थी द्वारा अपने आवेदनपत्र में इस आशय का अभिकथन किया गया है कि 20 दिन पहले प्रार्थी के बकरे के ऊपर गांव के अंकित पुत्र केशवराम ने जानबूझ कर ट्रैक्टर चढ़ाकर कुचल दिया, जिससे बकरा की वहीं मृत्यु हो गयी, जिसकी शिकायत पुलिस से करने पर पुलिस ने समझौता कराते हुये प्रार्थी को बकरे का पैसा केशवराम से देने की बात की थी। दिनांक–05.05.2026 को समय करीब 11:00 बजे दिन केशवराम से बकरे का पैसा मांगा तो केशवराम पुत्र–स्व० श्रीराम व अंकित ने कहाकि चौकी चलो वहीं बात करेगे। उनके साथ गांव के रामपाल व रामऔतार पुत्रगण–भजनलाल भी साथ गये, जाते समय रास्ते मे ग्राम जिन्दा निवादा व गोपालपुर गांव के बीच उपरोक्त लोग अचानक जाति सूचक गाली–गलौज व धमकी देने लगे। प्रार्थी के मना करने पर प्रार्थी को रोक कर उपरोक्त सभी लोग एकराय होकर जान से मारने की धमकी देते हुये, लात–घूंसों से मारपीट करने लगे। प्रार्थी अपनी जान बचाकर सड़क पर भागा तो रामपाल, रामऔतार व अंकति ने दौड़कर प्रार्थी को पकड़ लिया और केशवराम ने चाकू लेकर जान से मारने की नियत से प्रार्थी के सीने पर चाकू मारा तो प्रार्थी ने हाथ लगाकर अपने को बचाया तो चाकू प्रार्थी की हंथेली में लग गया, जिससे प्रार्थी की हथेली लहू लुहान हो गयी। प्रार्थी बेशुध होकर गिर पड़ा। प्रार्थी के विकलांग भाई संजय ने शोर मचाया तो राहगीर ललकारते हुये दौड़े, तो उक्त लोग गालियां देते हुये भाग गये। संजय ने 112 नम्बर व एम्बूलेंस को फोन कर बुलाया प्रार्थी को एम्बूलेंस से सी०एच०सी० रसूलाबाद कानपुर देहात में उसी दिनांक को पुलिस द्वारा मेडिकल कराया गया और प्रार्थी का मेडिकल पुलिस आज भी अपने पास रखे हुये है। प्रार्थी ने दिनांक–09.05.2026 को घटना की रजिस्टर्ड सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय कानपुर देहात है। परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी। तद्नुसार प्रार्थी द्वारा विपक्षी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर, कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गयी है।

3– प्रार्थनापत्र के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य में सूची से आधार कार्ड की प्रति, थानाध्यक्ष व पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात को प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र की प्रति, डाक रजिस्ट्री रसीद की प्रति व जाति प्रमाण पत्र पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी है।

Digitally signed by PRABHA NATH TRIPATHI
Date: 2026.07.15 16:11:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

4– प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्यानुसार उक्त प्रकरण के संबंध में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5– प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रार्थनापत्र के साथ दाखिल अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया।

6– पत्रावली के अवलोकन व प्रार्थना पत्र के कथानक से विदित होता है कि प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण पर यह आरोप लगाया गया है कि विपक्षीगण द्वारा उसके साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली–गलौज व मारपीट की गयी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। इसके साथ ही यह भी आरोप लगाया है कि विपक्षीगण द्वारा उसके ऊपर चाकू से भी प्रहार किया गया, जो उसकी हथेली में लगा। प्रार्थनापत्र के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी को घटना की पूर्ण जानकारी है, जिसे वह मौखिक साक्ष्य से साबित कर सकता है। **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की विधि व्यवस्था सुखवासी बनाम उ०प्र० राज्य 2007(59) ए०सी०सी० पृष्ठ सं.739 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था रमेश भाई पाण्डूराव बनाम गुजरात राज्य ए०आई०आर० 2010(SC) 1877** में प्रतिपादित विधि व्यवस्था में दिये गये दिशा निर्देशों व थाने की आख्या को दृष्टिगत रखते हुए मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले को परिवाद के रूप में दर्ज कर जाँच न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर होकर वास्ते बयान अन्तर्गत धारा–223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दिनांक–21.08.2026 को पेश हो। विपक्षीगण को नियमानुसार नोटिस नियत तिथि के लिए जारी हो।

(प्रभा नाथ त्रिपाठी)
I.D.No– UP06288
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.2/
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०)एक्ट,
रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।